

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-7/2017/

दिनांक:

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्हाने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	रामगोपाल रैगर, नर्स प्रथम	सीकर	13.12.88	13.12.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, नर्स प्रथम	सीकर	22.11.98	22.11.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
3.	मोतीराम मोहनपुरिया, नर्स प्रथम	सीकर	30.04.99	30.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
4.	बद्री लाल शर्मा, नर्स प्रथम	बूंदी	21.07.89	21.07.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	भोपाल गिरी, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	विनोद कुमार गहलोत, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	श्रीमती फिरदोस, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	महिपाल सिंह राठौड़, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	दुर्ग सिंह राजपुरोहित, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	राजु सिंह, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	चन्द्रकला पंवार, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	श्रीमती जतन दवे, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	भोला राम, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	लिखमाराम राड़, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
15.	विष्णुदत्त गंगावत, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
16.	ओम प्रकाश अरोड़ा, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
17.	श्रीमती मधु जोशी, नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 13.09.2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-7/2017/449

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/बूंदी।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर नीमकाथाना सीकर।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।

6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर